International Journal of Research in Hindi
www.hindijournal.in
ISSN: 2582-3493
Received: 20-03-2020; Accepted: 19-04-2020; Published: 25-04-2020
Volume 2; Issue 2; 2020; Page No. 15-16

मातृभाषा एवं व्यक्ति विकासः एक अध्ययन

अमरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
असिस्टेन्ट प्रोफेसर, अमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ कैम्पस, उत्तर प्रदेश, भारत

प्रस्तावना

भारतीय ज्ञान, विज्ञान, शास्त्र एवं दर्शन की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है। वेदों से जिस ज्ञान एवं दर्शन की परम्परा का प्रवाह आरम्भ हुआ, वह अनेकानेक विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने मूल रूप में आज भी विद्यमान है। वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक एवं भौतिक जीवन दृष्टियों का द्वन्द्व देखने को मिलता रहा है। हमारी आध्यात्मिक चेतना और जीवन दृष्टि आज भी अपने विशिष्टता के कारण प्रांसगिक बनी हुई है। भारतीय ज्ञान और दर्शन का मूल आधार हमारी आध्यात्मिकता है।

भारतीय दर्शन परम्परा में भाषा को विशेष महत्व दिया गया है। भाषा के प्रति हमारी दर्शन परम्परा में बहुत ही उदार भाव रहा है। भारतीय भाषा दर्शन की परम्परा में शब्द और मंत्र को ब्रह्म कहा गया है और शब्द से ही भाषा विकास की मान्यता है। भाषा मनुष्य के सामुदायिक जीवन के आरम्भ से निरन्तर प्रवाहित होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें समय, समाज एवं परिस्थितियों के अनुसार निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। वैदिक संस्कृत से जो भाषा परम्परा भारत में आरम्भ हुई, वह लौकिक संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश से होते हुए आधुनिक भारतीय भाषाओं तक की यात्रा तय कर चुकी है। भाषा–यात्रा की यह परम्परा सामाजिक जीवन एवं उसमें होने वाली परिवर्तनों की यात्रा है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का समय दसवीं शताब्दी से आरम्भ हुआ जो कमोवेश आज भी चल रहा है।

आधुनिक भारतीय भाषाओं में तमिल, तेलगु, कन्नड़, मराठी, मलयालम, सिन्धी, लहन्दा, पंजाबी, राजस्थानी, मेवाती, बघेली, बुन्देलखण्डी, मणीपुरी, असमी, बंग्ला, अवधी, ब्रजी, भोजपुरी छत्तीसगढ़ी, संथाली हिन्दी आदि प्रमुख हैं। ये भाषाएँ भारतीय समाज और संस्कृति की विविधता को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सर्वथा समर्थ है। भाषा के माध्यम से हम समाज की चित्तवृत्तियों का संप्रेषण करते हैं। भाषा जीवन की जीवन्तता को अभिव्यक्त करने का सर्वाधिक सशक्त माध्यम है। इस सन्दर्भ में रामविलास शर्मा का कथन द्रष्टव्य है– ''भाषा स्वयं संस्कृति नही है, वह संस्कृति का वाहन मात्र है।''[1]

भारतीय संस्कृति की विविधता का वाहन ये भाषाएं ही है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का मूल उत्स संस्कृत भाषा है, और संस्कृत भाषा से विकसित हिन्दी भाषा पूरे भारत में बोली एवं समझी जाती है। हिन्दी भाषा आज जिस रूप में प्रतिष्ठित है, उसके इस रूप में प्रतिष्ठित होने में भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन एवं विभिन्न समाज सुधार आन्दोलनों का विशेष योगदान है।

प्रथम स्वाधीनता आन्दोलन (1857) के विफलता के कारणों में एक बड़ा कारण भाषा थी। सम्पूर्ण राष्ट्र में कोई ऐसी भाषा नही थी, जिसमें पूरे देश के लोग आपस में सम्पर्क स्थापित कर सकें। ऐसे समय में देश के बहुतायत जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिन्दी को स्वाधीनता आन्दोलन के समय में ही राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। राष्ट्र भाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का है। भारतेन्दु ने लिखा है कि– 'निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल।'

अर्थात् अपनी भाषा ही सभी उन्नतियों का मूल है। हिन्दी भारत की राष्ट्र भाषा होने के साथ–साथ भारत के व्यापक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की मातृभाषा भी है। भाषा हमारे सामाजिक जीवन के साथ–साथ हमारी शिक्षा व्यवस्था, संस्कृति एवं अपनी परम्पराओं से हमारे संबंधों का नियमन भी करती है। ऐसी स्थिति में हमें यह चिन्तन करना ही होगा कि अगर हो सके तो हमारी बुनियादी या प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हमारी मातृभाषा ही हो।

शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के महत्व पर विचार करने से पूर्व हमें मातृभाषा के बारे में जान लेना आवश्यक है। जिस भाषा को कोई व्यक्ति बचपन में माता–पिता, परिवारजनों और पास–पड़ोस के लोगों के साथ रहकर सीख लेता है, वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। यह बोली, विभाषा अथवा भाषा, कोई भी हो सकती है। सामान्यतः एक भाषा क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की मातृभाषा समान ही होती है। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति के सोच–विचार और व्यवहार का माध्यम होती है। वह परिवार के भीतर और बाहर के लोगों से पहचान और अन्तःक्रिया का आधार बनती है।

मातृभाषा हमारे अस्तित्व का आधार है। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। दुनिया में 6809 भाषाएं एव बोलियाँ थीं, जो अलग–अलग जातियों द्वारा अलग–अलग क्षेत्रों में बोली जाती थीं, इनमें से 3000 बोलियों और भाषाओं का अस्तित्व खतरे में है। भाषाई साम्राज्यवाद के बढ़ते प्रभाव के कारण यूनेस्को ने 17 नवम्बर 1999 को अन्तरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का प्रावधान किया। तब से प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अन्तरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन् 2008 को यूनेस्को ने अन्तरराष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया तब से यूनेस्को लुप्तप्राय भाषाओं के संवर्धन के निमित्त निरन्तर प्रयासरत है।

मातृभाषा के सन्दर्भ में एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जितना अधिक और समर्थ लेखन एवं चिन्तन मातृभाषा में हो सकता है, उतना किसी भाषा में नही। दुनिया में आज भी भारत की पहचान यहां की भाषा में लिखित वेद, पुराण, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, योगसूत्र, रामायण, महाभारत, नाट्यशास्त्र आदि से है, जो मौलिक रचनाएँ हैं। समाज की रचनात्मकता और मौलिकता अनिवार्यतः उसकी अपनी भाषा से जुड़ी होती है। दुनिया में मौलिकता का महत्व है, माध्यम का नहीं।

मातृभाषा के सन्दर्भ में एक यह भी तथ्य है कि यदि हम अपनी मातृभाषा के साथ उपेक्षा का भाव नहीं रखेंगे और मातृभाषा का प्रयोग करेंगे तो मातृभाषा के साथ–साथ समाज में अन्य भाषा को भी सीख सकेंगे। विदेशों में रहने वाले बच्चे जो अपने घर–परिवार वालों के साथ मातृभाषा में बात करते हैं और बाहर दूसरी भाषा बोलते हैं; वह ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। एक अध्ययन में यह बात प्रमाणित हुई है। ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी

ऑफ रीडिंग के शोधकर्ता ने शोध में पाया कि – 'जो बच्चे स्कूल में अलग भाषा बोलते हैं और परिवार वालों के साथ घर में अलग भाषा का प्रयोग करते हैं, वे बुद्धिमत्ता जाँच में उन बच्चों के मुकाबले अच्छे अंक लाये जो सिर्फ गैर मातृभाषा जानते हैं। इस अध्ययन में ब्रिटेन में रहने वाले तुर्की के सात से ग्यारह साल के लगभग दो हजार बच्चों को शामिल किया गया। इस आईक्यू जाँच में दो भाषा बोलने वाले बच्चों का मुकाबला ऐसे बच्चों के साथ किया गया जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं।'[2]

उपरोक्त शोध यह बताने के निष्कर्ष से स्पष्ट हैं कि मातृभाषा का ज्ञान हमारे मानसिक विकास के लिए कितना आवश्यक है। यह हम कुछ भारतीय महापुरूषों के मातृभाषा के संबंध में दिये गये विचारों का विवेचन करेंगें। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का कथन है कि – ''बच्चों के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही आवश्यक है, जितना शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध''।[3]

प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ0 अब्दुल कलाम ने स्वयं के अनुभव के आधार पर कहा हैं कि– ''मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना, क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा मातृभाषा में प्राप्त की।''।[4] (धरमपेठ कालेज, नागपुर के व्याख्यान में)। मातृभाषा के माध्यम से अध्ययन में हमारा मानसिक विकास अन्य आध्यम की अपेक्ष तीब्र गति से होता है। भारत के ख्याति प्राप्त अधिकतर वैज्ञानिकों, विद्वानों एवं राजनेताओं ने अपनी आरम्भिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त की– जगदीश चन्द्र बसु, श्रीनिवास रामानुजन, सी0वी0रमन, अब्दुल कलाम, मदन मोहन मालवीय, रवीन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, प्रणव मुखर्जी, सरदार पटेल ज्योति बसु, के0 एन0 गोविन्दाचार्य, सुब्रह्मणयम् स्वामी इत्यादि।

मातृभाषा माध्यम में अध्ययन–अध्यापन के वैश्विक सन्दर्भों का यदि हम अवलोकन करें तो यह देखने को मिलता है कि जिन देशों में वहाँ के जनसामान्य की भाषा ही वहाँ की शिक्षा एवं शासन–प्रशासन की भाषा है, वह राष्ट्र आर्थिक और बौद्धिक दृष्टि से सम्पन्न एवं समृद्ध हैं जैसे– अमेरिका, रशिया, चीन, जापान, कोरिया, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इजराइल इत्यादि। इजराइल के 16 विद्वानों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किये हैं, सभी ने अपनी मातृभाषा हिब्रू में ही कार्य किया है। भारत में शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा, शासन–प्रशासन एवं न्यायालयों तक में अंग्रेजी भाषा में कार्य हो रहा है। एक ऐसी भाषा जिसें बहुसंख्य भारतीय जनमानस जान एवं समझ नही सकता।

यहाँ यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि जिसे हम राष्ट्रपिता मानते हैं, उनके मन में भारतीय भाषा हिन्दी के प्रति अगाध आस्था होने के बाद भी भारत के राजभाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठा नहीं मिली, जिसके परिणाम स्वरूप हम आज भी भाषाई साम्राज्यवाद के अधीन है। भाषाई अस्तित्व और महत्व को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बखूबी जानते थे।

मातृभाषा के महत्व और शिक्षा के माध्यम के सन्दर्भ में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के विचार स्पष्ट थे। इनका मानना था कि भारत में 90: व्यक्ति चौदह वर्ष की आयु तक ही पढ़ते है, अतः मातृभाषा में ही अधिक से अधिक ज्ञान होना चाहिए। उन्होंनें 1909 ई0 में 'स्वराज्य' में अपने विचार प्रकट किए है। उनके अनुसार हजारों व्यक्तियों को अंग्रेजो सिखलाना उन्हें गुलाम बनाना है। गांधी जी का मानना था कि– 'विदेशी माध्यम बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने, रटने और नकल करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करता है। तथा उनमें मौलिकता का अभाव पैदा करता है। यह देश के बच्चों के अपने ही घर में विदेशी बना देता है।'[5] (स्वराज्य, 1909)

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भारतीय भाषाओं को वह स्थान नही मिला जो भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन के समय में दिया गया था। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा हमारे अस्तित्व, अस्मिता और संस्कृति का आधार है। समय–समय पर किये गये शोध एवं सामाजिक संरचना के विश्लेषण से यह तथ्य सर्वविदित है। हमें हमारी मातृभाषाओं को समृद्धि एवं उनमें अध्ययन–अध्यापन के निमित्त प्रयास करना चाहिए। भारतीय भाषाओं के समृद्धि द्वारा हम अपने देश एवं संस्कृति के विकास में योगदान दे सकने में सक्षम होगें भाषा समृद्धि के निमित्त व्यक्तिगत संस्थागत एवं सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है। जिसमें निम्नलिखित प्रयास किये जाने आवश्यक हैं–

- ज्ञान–विज्ञान की पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद करना।
- एक से चौदह वर्ष तक की शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जाय।
- भाषा संवेदना एवं संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाये।
- भाषा–शिक्षा के प्रति उदार भाव का प्रसार–प्रसार किया जाना चाहिए।
- अंग्रेजी भाषा ही ज्ञान का माध्यम है, इस धारणा को बदला जाये।

उपरोक्त विवेचन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने से हमारा मानसिक एवं बौद्धिक विकास होगा और हमारी तर्क क्षमता का विकास है। यहां हम यह भी स्पष्ट करना चाहेंगे। यह भी तथ्य है कि सामान्य व्यक्ति औसतन छः (पग) भाषाएं सीख सकता है। हमारा विशेष ध्यान हमारी मातृभाषा पर होना चाहिए जिससे हम भाषाई साम्राज्यवाद की अधीनता से मुक्त हो सकेंगे। मातृभाषा हमारे व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, जिसका महत्व हमें समझना एवं स्वीकार करना होगा।

सन्दर्भ सूची

1. भाषा और समाज : श्री रामविलास शर्मा : पृष्ठ – 407
2. भाषा : – बेवदुनिया, 24 अगस्त 2018
3. स्वराजः महात्मा गांधी 1909
4. श्री अतुल कोठारी के ब्लाग से सभार,
5. स्वराजः महात्मा गांधी 1909